

GOVERNMENT OF INDIA,  
MINISTRY OF COMMERCE & INDUSTRY,  
OFFICE OF THE DEVELOPMENT COMMISSIONER,  
SEEPZ SPECIAL ECONOMIC ZONE,  
ANDHERI (EAST), MUMBAI - 400 096.

F.No. SEEPZ-SEZ/NEWSEZ/AC /181/2015-16/Vol-X /21943 3.11.2017

PUBLIC NOTICE No. 43 /2017

**Subject: Instruction regarding Unit Approval Committee.**

Kindly refer to the above captioned subject and to say that it has been decided by the Competent Authority that henceforth, the below mentioned instructions have to be strictly adhered in all the forthcoming UAC Meetings:

1. The last date for submission of application for proposal regarding UAC will be 5 days before the meeting date and the same will be finalized 4 days before the meeting as well as same will be reflected on the website 2 days prior to the meeting. Further, it may be noted that no last moment proposal will be entertained, without proper scrutiny of such proposals.
2. Further, with regards to new unit application, the applicant should be informed to make a Power Point Presentation for 10 minutes at the time of discussions of their Proposal.
3. It may please be noted that in case of new proposals, it is expected that the Senior Management of the unit or the concerned Project-in-Charge make the presentation, which will facilitate the proper decision making by the Unit Approval Committee.
4. Due to space constraint, the management teams making presentation should be informed that no more than 2-3 representatives should come inside at the time of their presentation and discussions of their Agenda item.

Therefore, all concerned are directed to strictly adhere to the above mentioned instructions.

This issues with the approval of Development Commissioner, SEEPZ-SEZ.

  
(Pravin Chandra)

Jt. Development Commissioner,  
SEEPZ-SEZ.

To,

1. All the functional SEZs and their units.
2. New unit applicant.

भारत सरकार,  
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय,  
विकास आयुक्त का कार्यालय,  
सीप्लू विशेष आर्थिक क्षेत्र,  
अंधेरी (पूर्व), मुंबई-400096

\*\*\*\*\*

फा.सं.सीप्लू-सेज़/न्यूसेज़/एसी/181/2015-16/वॉल्यू-X/ 2983

दिनांक: 03.11.2017

सार्वजनिक सूचना संख्या 43/2017


विषय: यूनिट अनुमोदन समिति से संबंधित अनुदेश ।

उपर्युक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सक्षम प्राधिकारी ने यह निर्णय किया है कि भविष्य में आयोजित की जानी वाली सभी यूनिट अनुमोदन समिति की बैठकों में निम्नलिखित अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए:-

1. यूनिट अनुमोदन समिति के संबंध में प्रस्ताव का आवेदन प्रस्तुत किए जाने की अंतिम तारीख बैठक की तारीख से 5 दिन पूर्व होगी तथा इसे बैठक के 4 दिन पूर्व अंतिम रूप दिया जाएगा तथा बैठक के 2 दिन पूर्व वेबसाइट पर यह दर्शाया जाएगा । आगे यह भी ध्यान दिया जाए कि ऐसे प्रस्तावों की अच्छी तरह छानबीन किए बिना अंतिम समय में कोई प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया जाएगा ।
2. नए यूनिट आवेदनों के संबंध में, आवेदक को अपने प्रस्ताव पर चर्चा के समय 10 मिनट का पावर पॉइंट प्रस्तुतीकरण देने को कहा जाए ।
3. कृपया यह ध्यान रहे कि नए प्रस्तावों के मामले में यह अपेक्षित है कि यूनिट के वरिष्ठ प्रबंधन अथवा संबंधित परियोजना प्रभारी ही प्रस्तुतीकरण दें जिससे यूनिट अनुमोदन समिति को उचित निर्णय लेने में आसानी हो ।
4. स्थान की समस्या को ध्यान में रखते हुए प्रस्तुतीकरण देने वाले प्रबंधन दल को सूचित किया जाए कि प्रस्तुतीकरण तथा कार्यसूची में उनकी मद पर चर्चा के दौरान बैठक में उनके 2-3 प्रतिनिधि ही उपस्थित रहें ।

अतएव, सभी संबंधितों को निदेश दिया जाता है कि वे उपर्युक्त अनुदेशों का सख्ती से अनुपालन करें ।

यह विकास आयुक्त, सीप्लू-सेज़ के अनुमोदन से जारी किया जाता है ।



(प्रवीण चंद्र)

संयुक्त विकास आयुक्त,  
सीप्लू-सेज़

प्रति:-

1. सभी क्रियाशील सेज़ तथा उनके यूनिट ।
2. नए यूनिट आवेदक ।